–प्रेस नोट–

जनपद मुजफ्फरनगर

दिनांक 23-11-2023

➢ थाना शाहपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार –

दिनांक 23.11.2023 थाना शाहपुर पर नियुक्त उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह मय हमराहीगण द्वारा अभियुक्त अंकुर पुत्र जयपाल निवासी मौ0 सैनियान कस्बा व थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर को पलडी बाईपास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना शाहपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 389/23 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री प्रशान्त गिरि द्वारा की जा रही है।

➢ थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार –

दिनांक 23.11.2023 थाना पुरकाजी पर नियुक्त उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0 286/23 धारा 392 भादवि में वांछित अभियुक्त विराट उर्फ अजय पुत्र तेजवीर निवासी ग्राम हरसौली थाना शाहपुर, मुजफ्फरनगर को ग्राम हरसौली बुढाना से बुढाना मार्ग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 200 रूप्ये बरामद किए गए।

➢ थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार –

दिनांक 22.11.2023 थाना कोतवाली नगर पर नियुक्त उ0नि0 श्री विजय कुमार शर्मा मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0 658/23 धारा 363 भादवि में वांछित अभियुक्त मौहम्मद सरवर पुत्र मौहम्मद इस्लाम निवासी मौ0 साठा इस्लामाबाद थाना कोतवाली नगर, जनपद बुलन्दशहर को रोडवेज अडडे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 200 रूप्ये बरामद किए गए। अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री विजय कुमार शर्मा द्वारा की जा रही है।

➢ थाना खतौली पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार –

दिनांक 23.11.2023 थाना खतौली पर नियुक्त उ0नि0 श्री कौशल गुप्ता मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0 499/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तगण 1. मनीष पुत्र मुकेश निवासी मौ0 सैनीनगर थाना खतौली व मोहन पुत्र लक्ष्मण निवासी मौ0 सैनीनगर थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर को चूना भट्टी के पास से गिरफ्तार किया गया।

- **<u>थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा महिला से चेन लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 लूटेरा अभियुक्त गिरफ्तार –</u>**

दिनांक 23.11.2023 थाना सिविल लाईन पर नियुक्त उ0नि0 श्री किशनपाल सिंह मय हमराहीगण द्वारा मु0अ0सं0 390/23 धारा 392 भादवि का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त अनमोल गर्ग उर्फ निक्कू पुत्र रजनीश गर्ग उर्फ बबला निवासी गांधी नगर थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर को जानसठ पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से लूटी गयी पीली धातु की आधी चैन व 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किए गए। बरामदगी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 390/23 में धारा 411 भादवि व 3/25 आयुद्ध अधिनियम की वृद्धि की गयी। अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री किशनपाल सिंह द्वारा की जा रही हैं।